

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1437/2026

Bhajan Lal Poonia S/o Moola Ram, Aged About 30 Years, R/o
Foujdaran Ka Bas, Village Bambalu, P.S. Jamsar, Tehsil And
District Bikaner.

(Lodged In Central Jail Bikaner)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Laxman Ram S/o Kheta Ram, R/o Near MN Hospital,
Nayako Ka Mohalla, P.S. Sadar Bikner.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	श्री प्रदीप चौधरी
For Respondent(s)	:	श्री ऊर्जाराम कलवी, लोक अभियोजक श्री एच.एस. श्रीमाली

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना— सदर बीकानेर, जिला— बीकानेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **424/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **74 भारतीय न्याय संहिता, 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1)(w) 3(2)(va) एससी. एसटी. एक्ट** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में परिवादी पक्ष एवं प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है। धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अधिकतम दंड 3 वर्ष की अभिरक्षा का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रथमदृष्ट्या अभियोक्त्री 'एक्स' के कथनों के

आधार से धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला बनना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा व आक्षेपित आरोप में दिये गये दंड की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने एक 13 वर्षीय बालिका के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है और उसे छुआ है। अतः अभियोक्त्री के धारा 180 बीएनएसएस के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष/अभियोक्त्री द्वारा पक्षकारों के मध्य परस्पर राजीनामा होना स्वीकार किया है एवं यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होने के कथन किये हैं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी आक्षेपित नहीं है। आक्षेपित आरोप, आरोप में प्रावधानिक दंड, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि और उसके पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास न होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भजनलाल पूनिया पुत्र मूलाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J